मुकदमों का विवरण

थानेसर सिंह सोधी (डी) टीएचआर। एलआरएस. वी.

भारत और ओआरएस का संघ। (2011 की सिविल अपील No.5500) नवंबर 09,2023

[विक्रम नाथ और अहसानउद्दीन अमानुल्लाह**,** जे**.** जे**.]** हेडनोट्स

विचार के लिए विषयःविदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 के अंतर्गत पारित निरोध आदेश, बाद में रद्द/वापस ले लिया गया, तस्कर और विदेशी मुद्रा हेरफेर (संपत्ति की ज़ब्ती) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत कार्यवाही यदि गैर-स्थायी और असमर्थनीय हो जाएगी, जैसा कि दावा किया गया है।

तस्कर और विदेशी मुद्रा हेरफेर **(**संपत्ति की ज़ब्ती**)** अधिनियम**, 1976 -**धारा **2 (2) (**बी**)** और इसका परंतुक**-**अनुप्रयोग**-**विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम**, 1974-**एस**.3, 9, 12 –** निरोध आदेश यू/एस पारित किया गया।**3** यदि बनाए रखा जा सकता है तो **SAFEMA** के अंतर्गत निरस्त/वापस ली गई**,** आक्षेपित कार्यवाहीः

आयोजित किया गयाःएस. 2 अधिनियम के प्रावधानों को केवल उसकी उप-धारा (2) में निर्दिष्ट व्यक्तियों पर लागू करने का प्रावधान करता है-उप-धारा (2) (बी) के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जिसके संबंध में कोफेपोसा के अंतर्गत निरोध का आदेश दिया गया है, अधिनियम उसके प्रावधान के अंतर्गत उल्लिखित चार खंडों के अधीन लागू होगा-इस मामले के प्रयोजनों के लिए, प्रासंगिक प्रावधान एस.2(2)(ख) और इसका परंतुक-खंड (i) से (iv) में दी गई चार आकस्मिकताओं के अलावा, प्रत्येक व्यक्ति जिसके खिलाफ कोफेपोसा के अंतर्गत निरोध का आदेश पारित किया गया है, सेफेमा के प्रावधान लागू होंगे-बेशक, अपीलकर्ताओं के खिलाफ कोफेपोसा के अंतर्गत निरोध का आदेश दिया गया था-सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर या सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट प्राप्त होने से पहले या 778 दर्ज करने से पहले निरोध का आदेश रद्द नहीं किया गया था।

777

/

[2023] 14 एस सी आर।

सलाहकार बोर्ड का संदर्भ-इसके अलावा, यह यू/एस द्वारा पारित निरोध का आदेश था।3, कोफेपोसा -एस. 9 और एस.12 ए, कोफेपोसा का निरोध आदेश पर कोई आवेदन नहीं था-इस प्रकार, खंड (i) लागू नहीं होगा-खंड (ii) भी उतना लागू नहीं होगा जितना कि न तो निरोध आदेश किया गया था जिसके लिए एस के प्रावधान थे।9, सी. ओ. एफ. ई. पी. ओ.

एस. ए. सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर समीक्षा के आधार पर समय की समाप्ति से पहले लागू होगा और न ही इसे निरस्त किया गया था-इसके अलावा, खंड (iii) भी एस के रूप में लागू नहीं होगा।12 ए, कोफेपोसा ने निरोध आदेश के लिए कोई आवेदन नहीं किया था-अंत में, सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय द्वारा निरोध आदेश को दरकिनार नहीं किया गया था-इसलिए, खंड (iv) का भी कोई आवेदन नहीं होगा-इसके विपरीत, अपीलार्थी ने निरोध आदेश के खिलाफ एक अभ्यावेदन किया था जिसे खारिज कर दिया गया था-उक्त आदेश को उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई थी जिसे गुण-दोष के आधार पर भी खारिज कर दिया गया था-हालाँकि, संबंधित क़ानून के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भारत संघ की ओर से दिए गए बयान पर निरसन किया गया था-उक्त निरसन पर विचार नहीं किया गया है।2(2)(ख) और इसके परंतुक, और इसलिए, उक्त गणना पर अपीलार्थी (ओं) को कोई लाभ नहीं दिया जा सकता है-इसलिए, आक्षेपित निर्णय यू/एस की संपत्तियों को जब्त करने के आदेश को स्वीकार करता है।7, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962-स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की गारंटी देने के लिए सेफेमा पर्याप्त नहीं है।[पैरा 1,22-22.4,23]

नगरों और अन्य संदर्भों की सूची

भारत के महान्यायवादी बनाम अमृतलाल प्रजिवंदास और अन्य (1994)

5 एससीसी 54:[1994] 1 पूरक।एस. सी. आर. 1-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन आक्षेपित हैं

नागरिक/आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2011 की सिविल अपील No.5500।

1995 के डब्ल्यू. पी. No.1212 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 26.03.2010 के निर्णय और आदेश से।

सह

2014 की आपराधिक अपील No.730।

779

थानेसर सिंह सोधी (डी) टीएचआर। एलआरएस. वी.भारत संघ और अन्य ।

रूपः

चिनमॉय प्रदीप शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता, कुमार अंकुर, करण बिंद्रा, बिपुल केडिया, चायन सरकार, अनुपम प्रकाश, सुश्री अंजू।के. वर्की, शैलेंद्र कुमार, इरफान हसीब, कृष्णज्योति डेका, ऋषभ मुंजाल, सुश्री महेश शर्मा, सुश्री नीलम सिंह, सुश्री प्रियांशी भाटी, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।विक्रमजीत बनर्जी, ए. एस. जी., मुकेश कुमार मरोरिया, प्रशांत रावत,

सिद्धार्थ सिन्हा, एस. ए. हसीब, प्रत्यूष श्रीवास्तव, आदित्य अनिरुद्ध पांडे, सिद्धार्थ धर्माधिकारी, भारत बागला, सौरव सिंह, आदित्य कृष्णा, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

सर्वोच्च निर्णय के निर्णय का निर्णय/आदेश

विक्रम नाथ, जे।

1. ये दोनों अपीलें उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेशों को कमोबेश एक ही और समान आधारों पर चुनौती देती हैं क्योंकि इन पर एक साथ विचार किया गया है और इस सामान्य आदेश द्वारा निर्णय लिया जा रहा है।2011 की सिविल अपील में, चुनौती दिल्ली उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा दिनांकित 26.03.2010 द्वारा पारित एक आदेश को दी गई है, जिसमें 1995 की रिट याचिका (सिविल) No.1212 को तस्कर और विदेशी मुद्रा हेरफेर (संपत्ति की ज़ब्ती) अधिनियम, 1976 की धारा 7 के अंतर्गत संपत्तियों की ज़ब्ती के आदेश को स्वीकार करते हुए खारिज कर दिया गया था। 2014 की आपराधिक अपील No.730 में, चुनौती बॉम्बे उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा 2011 की रिट याचिका No.3878 को खारिज करते हुए पारित एक आदेश को दी गई है, जिसमें SAFEMA के अंतर्गत संपत्तियों को जब्त करने के आदेश को भी बरकरार रखा गया था।

2. उच्च न्यायालय के समक्ष, दोनों मामलों में चुनौती का मुख्य आधार यह था कि विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 2 की धारा 3 के अंतर्गत पारित निरोध आदेश को बाद में रद्द/वापस ले लिया गया है क्योंकि इस तरह से सेफेमा की कार्यवाही गैर-स्थायी और असमर्थनीय हो जाएगी।2011 की सिविल अपील No.5500 में लिया गया एक अतिरिक्त आधार इस आशय का था कि अपराधी भी

1 सेफेमा 2 कोफेपोसा 780

/

[2023] 14 एस सी आर।

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 3 के अंतर्गत की गई शिकायत जिसमें अपीलार्थी को इस आधार पर आरोपमुक्त कर दिया गया था कि कोई सबूत नहीं था, आगे से सेफेमा के अंतर्गत कार्यवाही को असमर्थनीय बना देगा।

3. शुरुआत में, अपीलार्थी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा दी गई दलीलें काफी आकर्षक और जोरदार प्रतीत होती हैं, लेकिन जब मामले के तथ्यों और विधि की जांच की जाती है, तो हमारा मानना है कि तर्क को विफल होना पड़ता है जिसके परिणामस्वरूप अपीलों को खारिज कर दिया जाता है।

4. संक्षिप्तता के लिए, हम 2011 की सिविल अपील के तथ्यों को पुनः प्रस्तुत कर रहे हैं और 2014 की अन्य आपराधिक अपील के तथ्यों का संक्षिप्त में उल्लेख करेंगे।

5. अपीलार्थी को हिरासत में लेने के लिए कोफेपोसा की धारा 3 (1) के अंतर्गत एक आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा 02.01.1978 पर पारित किया गया था।निरोध आदेश के खिलाफ अपीलार्थी द्वारा दिनांकित 12.01.1978 अभ्यावेदन को 15.02.1978 पर उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा खारिज कर दिया गया था।इसके बाद अपीलार्थी ने सी. आर. को प्राथमिकता दी। दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष 1978 का डब्ल्यू. पी. सं. 6 जिसे दिनांक 25.09.1978 के निर्णय द्वारा एक विस्तृत बोलने वाले आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।दिल्ली उच्च न्यायालय का यह आदेश सीआर को खारिज करता है। 1978 के आई. डी. 1 को आगे नहीं ले जाया गया और यह एफ. आई. एन. एल. बन गया।

6. हालाँकि, अपीलार्थी की पत्नी ने इस न्यायालय के समक्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 04.10.1978 पर याचिका दायर की, जिसे 1978 के W.P.No.4446 के रूप में पंजीकृत किया गया था।उक्त याचिका में, अन्य सहायक राहतों के साथ दिनांकित 02.01.1978 निरोध आदेश को चुनौती दी गई थी।उक्त याचिका को याचिकाओं के समूह के साथ जोड़ा गया था और भारत संघ की ओर से दिए गए वचन पर इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश द्वारा वापस लिए जाने के रूप में खारिज कर दिया गया था कि निरोध आदेश को वापस ले लिया जाएगा और एक शिकायत को बंदियों पर मुकदमा चलाने के लिए नेतृत्व किया जाएगा जिसमें अपीलकर्ता और अन्य भी शामिल थे।इस न्यायालय के समक्ष दिए गए वचन के परिणामस्वरूप, अपीलार्थी के खिलाफ निरोध आदेश को 09.11.1978 पर रद्द कर दिया गया था।यह निरोध आदेश, इसकी वैधता और निरसन को चुनौती देने से संबंधित अध्याय को समाप्त करता है।

3 अधिनियम 1962 781

थानेसर सिंह सोधी (डी) टीएचआर। एलआरएस. वी.भारत और ओआरएस का संघ। [विक्रम नाथ, जे।]

7. 10.02.1981 पर, प्राधिकरण ने SAFEMA की धारा 6 के अंतर्गत अपीलार्थी को आय, आय या संपत्ति के स्रोतों का खुलासा करने के लिए कारण बताएँ नोटिस जारी किया, जिनसे उसने अर्जित कियाः

i) हाउस No.2/32 A, पंजाबी बाग, नई दिल्ली;

(ii) मेसर्स अप्सरा होटल, आर्य समाज रोड, नई दिल्ली; और

iii) बैंक ऑफ इंडिया, करोल बाग, नई दिल्ली में जमा।8. अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त कारण दर्शाओ नोटिस का जवाब 21.03.1981 पर दिया गया था।जवाब पर विचार करने के बाद, SAFEMA की धारा 7 (1) के अंतर्गत 21.03.1983 दिनांकित नोटिस दिया गया था जिसमें उन्हें सुनवाई का अवसर दिया गया था।दिनांक 16.09.1983 के आदेश के अनुसार, SAFEMA के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी ने इसकी धारा 7 के अंतर्गत संपत्तियों को जब्त

कर लिया।उसी से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने 07.10.1983 पर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील की।

9. इसके साथ ही, अपीलार्थी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष 1983 के डब्ल्यू. पी. (सिविल) <आई. डी. 1 को भी प्राथमिकता दी, जिसमें उसने सेफेमा के अधिकारों के साथ-साथ उक्त अधिनियम के अंतर्गत शुरू की गई कार्यवाही को भी चुनौती दी थी। रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, दिल्ली उच्च न्यायालय ने सेफेमा के अंतर्गत अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।10. इस बीच, चूंकि विभिन्न उच्च न्यायालय ों के समक्ष सेफेमा के अधिकारों को चुनौती दी गई थी, ऐसे सभी लंबित मामलों को इस न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसमें अटॉर्नी जनरल की उपाधि भी शामिल थी।

भारत बनाम अमृतलाल प्रजिवंदास और अन्य **4.**याचिकाओं का यह समूह

12.05.1994 दिनांकित निर्णय के माध्यम से निर्णय लिया गया।इस न्यायालय ने सेफेमा के अधिकारों को बरकरार रखा और तदनुसार, जहां अपीलीय न्यायाधिकरणों के समक्ष अपीलें लंबित थीं, उन्हें निपटाने और उनके गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया।

11. अपीलीय न्यायाधिकरण ने दिनांक 02.03.1995 के आदेश के माध्यम से 16.09.1983 पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित ज़ब्ती आदेश को बरकरार रखा।अपीलीय आदेशों को 1995 के डब्ल्यू. पी. (सी) No.1212 के माध्यम से दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी।रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, अपीलीय द्वारा पारित आदेश पर रोक लगाने के लिए 06.04.1995 पर एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था।

4 (1994)5 एससीसी 54 782

/

[2023] 14 एस सी आर।

02.03.1995 पर न्यायाधिकरण।उक्त रिट याचिका को 26.03.2010 दिनांकित निर्णय के माध्यम से खारिज कर दिया गया, जो वर्तमान अपील में आक्षेपित है।12. तथ्यात्मक परिदृश्य को पूरा करने के लिए अधिनियम 1962 के अंतर्गत शिकायत से संबंधित दो अतिरिक्त तथ्यों पर भी ध्यान दिया जा सकता है।

13. इस न्यायालय के समक्ष बयान दिए जाने के बाद, जैसा कि 1978 की रिट याचिका में पारित आदेश में दर्ज किया गया था, अभियोजन के लिए शिकायत दर्ज करने के लिए, अधिनियम 1962 की धारा 135 (1) (बी) और स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 की धारा 85 के अंतर्गत दर्ज किया गया था।अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, नई दिल्ली ने दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से अपीलार्थी को आरोपमुक्त कर दिया और आपराधिक शिकायत

की कार्यवाही को बंद कर दिया।इसके अलावा, उक्त निर्वहन के परिणामस्वरूप, सीमा शुल्क अधिकारियों ने दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से अपीलार्थी के खिलाफ अधिनियम 1962 के साथ-साथ अधिनियम 1968 के अंतर्गत लगाए गए दंड को अलग कर दिया।

14. जहां तक 2014 की आपराधिक अपील का संबंध है, संक्षेप में तथ्य यह है कि जब्त करने के दिनांकित आदेश को अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती दी गई थी जिसने दिनांकित आदेश के माध्यम से अपील को खारिज कर दिया था।उसी से व्यथित, रिट याचिका को बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष सीआरएल के रूप में प्रस्तुत किया गया था। 2002 का डब्ल्यू. पी. No.1260 जिसे 25.11.2002 और एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) पर खारिज कर दिया गया था। उक्त आदेश के खिलाफ 2002 के एफ. आई. के No.5558 को भी इस न्यायालय द्वारा 09.01.2003 पर खारिज कर दिया गया था।इसके बाद, उसमें अपीलार्थी ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष 2011 की दूसरी याचिका का नेतृत्व किया, जिसमें उसी दिनांकित समपहरण आदेश को फिर से इस आधार पर चुनौती दी गई कि कोफेपोसा के अंतर्गत निरोध के आदेश को बाद में निदेशक (कोफेपोसा) द्वारा पारित आदेश द्वारा रद्द कर दिया गया था, जैसे कि सेफेमा के अंतर्गत समपहरण के आदेश को नए सिरे से चुनौती दी गई थी, जिसे निरोध के आदेश को रद्द करने के बाद स्वीकार नहीं किया जा सकता है।बॉम्बे हाई न्यायालय ने दूसरी याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि एक बार पिछली याचिका खारिज हो जाने के बाद उसी राहत के लिए कोई दूसरी याचिका नहीं होगी।

15. मामले के उपरोक्त तथ्यों में, अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकील ने बहुत जोर देकर आग्रह किया है कि SAFEMA के अंतर्गत आक्षेपित कार्यवाही को बनाए नहीं रखा जा सकता है और

5 अधिनियम 1968 783

थानेसर सिंह सोधी (डी) टीएचआर। एलआरएस. वी.भारत और ओआरएस का संघ। [विक्रम नाथ, जे।]

आक्षेपित आदेशों को रद्द करने की आवश्यकता है क्योंकि निरोध के लिए कोफेपोसा के अंतर्गत कार्यवाही रद्द कर दी गई है और 2011 की सिविल अपील में भी कि आपराधिक शिकायत को भी बंद कर दिया गया था क्योंकि अपीलार्थी को आरोपमुक्त कर दिया गया था और आगे अधिनियम 1962 और अधिनियम 1968 के अंतर्गत जुर्माना भी रद्द कर दिया गया है।

16. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने अपनी दलीलों का समर्थन करने के लिए SAFEMA की धारा 2 (2) (b) पर मजबूत भरोसा रखा था कि एक बार COFEPOSA के अंतर्गत निरोध आदेश को रद्द कर दिया गया था, तो SAFEMA के अंतर्गत कार्यवाही को बनाए नहीं रखा जा सकता था।निवेदन यह है कि सेफेमा के प्रावधान केवल उस व्यक्ति के खिलाफ लागू

किए जा सकते हैं जिसके संबंध में कोफेपोसा के अंतर्गत निरोध का आदेश दिया गया है। एक बार जब हिरासत के आदेश को किसी भी कारण से रद्द कर दिया गया था, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कोफेपोसा के अंतर्गत हिरासत का कोई आदेश नहीं होगा और इसलिए, सेफेमा की कोई प्रयोज्यता नहीं होगी।

17. दूसरी ओर, श्री विक्रमजीत बनर्जी, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दलीलें गलत हैं।उनके अनुसार, उस व्यक्ति के खिलाफ सेफेमा के प्रावधानों को लागू किया जा सकता है जिसके संबंध में सेफेमा की धारा 2 (2) (बी) के प्रावधान के अंतर्गत दिए गए अपवाद के अधीन कोफेपोसा के अंतर्गत हिरासत का आदेश दिया गया था। जब तक और जब तक कि परंतुक के अंतर्गत चार खंडों में से किसी को भी वर्तमान अपीलार्थी की ओर आकर्षित नहीं कहा जा सकता है, अपीलार्थी उसी से कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है।यह केवल वहाँ है जहाँ निरसन परंतुक के चार खंडों के अंतर्गत दिए गए कारणों और स्थितियों के लिए है कि SAFEMA ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगा जिसके खिलाफ COFEPOSA के अंतर्गत निरोध आदेश पारित किया गया था।

18. श्री बनर्जी ने यह भी प्रस्तुत किया कि अधिनियम 1962 और अधिनियम 1968 के अंतर्गत कार्यवाही और उक्त प्रावधानों के अंतर्गत शिकायत और जुर्माना वापस लेने से भी अपीलकर्ता को उतनी मदद नहीं मिलेगी जितनी कि अपीलकर्ता सेफेमा के अंतर्गत कार्यवाही करने के लिए उत्तरदायी होगा क्योंकि कोफेपोसा के अंतर्गत हिरासत का आदेश था जिसके खिलाफ प्रतिनिधित्व को खारिज कर दिया गया था और उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका को गुण-दोष के आधार पर खारिज कर दिया गया था।उच्च न्यायालय के उक्त आदेश ने वास्तविकता प्राप्त कर ली थी।निरोध आदेश का कोई भी बाद में वापस लेना या रद्द करना, जो SAFEMA की धारा 2 (2) (b) के प्रावधान के अंतर्गत चार खंडों में से किसी में भी शामिल नहीं था, अपीलार्थी को यह बताने में कोई मदद नहीं कर सकता कि 784

/

[2023] 14 एस सी आर।

एक बार हिरासत के आदेश को रद्द कर दिए जाने के बाद, सेफेमा के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

19. मुख्य रूप से, अपीलार्थी का तर्क दो गुना हैःकहा जाता है कि सबसे पहले, लाभ कोफेपोसा के अंतर्गत पारित निरोध आदेश को निरस्त करने और दूसरा, शिकायत को खारिज करने और अधिनियम 1962 और अधिनियम 1968 के अंतर्गत दंड को वापस लेने से प्राप्त होता है।

20. जहाँ तक दूसरे तर्क का संबंध है, इसकी SAFEMA के अंतर्गत आक्षेपित कार्यवाही और ज़ब्ती की प्रयोज्यता या गैर-प्रयोज्यता के लिए कोई प्रासंगिकता नहीं है। वे अधिनियम 1962 और अधिनियम 1968 के प्रावधानों के अंतर्गत स्वतंत्र कार्यवाही थीं।

21. अब कोफेपोसा के अंतर्गत पारित निरोध आदेश को रद्द करने से संबंधित पहले तर्क पर आते हैं। एस. ए. एफ. ई. एम. ए. को तस्करों और विदेशी मुद्रा हेरफेर करने वालों की अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को जब्त करने और उससे जुड़े या आकस्मिक मामलों के लिए प्रावधान करने के लिए अधिनियमित किया गया था क्योंकि ऐसी गतिविधियों का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा था।धारा 2 में अधिनियम के प्रावधानों को केवल उसकी उप-धारा (2) में निर्दिष्ट व्यक्तियों पर लागू करने का प्रावधान किया गया है।उप-धारा (2) (बी) के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जिसके संबंध में कोफेपोसा के अंतर्गत निरोध का आदेश दिया गया है, अधिनियम उसके प्रावधान के अंतर्गत उल्लिखित चार खंडों के अधीन लागू होगा।इस मामले के प्रयोजनों के लिए, प्रासंगिक प्रावधान धारा 2 (2) (बी) और इसके परंतुक के साथ जुड़े हुए हैं।इसी प्रकार नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

"खंड 2.आवेदन।-

एक्सएक्स

एक्सएक्स

एक्सएक्स

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति निम्नलिखित हैं, अर्थात्:-

एक्सएक्स

एक्सएक्स

एक्सएक्स

(ख) प्रत्येक व्यक्ति जिसके संबंध में विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 (1974 का 52) के अंतर्गत निरोध का आदेश दिया गया है।

बशर्ते कि -

((i) निरोध का ऐसा आदेश, एक ऐसा आदेश है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 9 या धारा 12 ए के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, 785 नहीं किया गया है।

थानेसर सिंह सोधी (डी) टीएचआर। एलआरएस. वी.भारत और ओआरएस का संघ। [विक्रम नाथ, जे।]

उक्त अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर या सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट की प्राप्ति से पहले या सलाहकार बोर्ड को संदर्भ देने से पहले रद्द कर दिया गया;

((ख) निरोध का ऐसा आदेश, जो एक ऐसा आदेश है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 9 के प्रावधान लागू होते हैं, धारा 9 की उप-धारा (3) के अंतर्गत समीक्षा के लिए या उसके

आधार पर या उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 8 के अंतर्गत सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर समय समाप्त होने से पहले रद्द नहीं किया गया है; या

((ग) निरोध का ऐसा आदेश, जो एक ऐसा आदेश है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 12 क का प्रावधान लागू होता है, उस धारा की उप-धारा (3) के अंतर्गत पहली समीक्षा के लिए या उसके आधार पर या उस अधिनियम की धारा 12 क की उप-धारा (6) के साथ पठित धारा 8 के अंतर्गत सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर समय समाप्त होने से पहले रद्द नहीं किया गया है; या

((iv) निरोध के ऐसे आदेश को सक्षम अधिकार क्षेत्र की न्यायालय द्वारा दरकिनार नहीं किया गया है।

22. उपरोक्त उद्धृत प्रावधान के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उपरोक्त खंड (i) से (iv) में दी गई चार आकस्मिकताओं के अलावा, प्रत्येक व्यक्ति जिसके खिलाफ कोफेपोसा के अंतर्गत निरोध का आदेश पारित किया गया है, सेफेमा के प्रावधान लागू होंगे।वर्तमान मामले में, यह एक स्वीकृत स्थिति है कि अपीलार्थियों के खिलाफ कोफेपोसा के अंतर्गत हिरासत का आदेश दिया गया था।

22.1.हिरासत के आदेश को सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर या सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट प्राप्त होने से पहले या सलाहकार बोर्ड को संदर्भित करने से पहले रद्द नहीं किया गया था। इसके अलावा, यह कोफेपोसा की धारा 3 के अंतर्गत पारित हिरासत का आदेश था। कोफेपोसा की धारा 9 और धारा 12 ए का निरोध आदेश पर कोई अनुप्रयोग नहीं था।इस प्रकार, खंड (i) लागू नहीं होगा।

22.2.खंड (ii) भी उतना लागू नहीं होगा जितना कि न तो निरोध आदेश दिया गया था जिस पर कोफेपोसा की धारा 9 के प्रावधान लागू होंगे और न ही सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर समीक्षा के आधार पर समय समाप्त होने से पहले इसे रद्द कर दिया गया था।

22.3.इसके अलावा, खंड (iii) भी लागू नहीं होगा क्योंकि कोफेपोसा की धारा 12 ए का निरोध आदेश पर कोई आवेदन नहीं था।

22.4.अंत में, निरोध आदेश को सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय द्वारा दरकिनार नहीं किया गया था।अतः खंड (iv) का कोई अनुप्रयोग नहीं होगा।23. इसके विपरीत, निरोध आदेश के खिलाफ वर्तमान मामले में, अपीलार्थी ने एक अभ्यावेदन दिया था जिसे खारिज कर दिया गया था।इसके बाद उक्त आदेश को एक रिट याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय के

समक्ष चुनौती दी गई थी, जिसे हिरासत आदेश को बरकरार रखते हुए एक विस्तृत आदेश द्वारा गुण-दोष के आधार पर खारिज कर दिया गया था।हालाँकि, संबंधित क़ानून के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष भारत संघ की ओर से दिए गए एक बयान पर निरसन किया गया था।उक्त निरसन पर धारा 2 (2) (बी) और इसके परंतुक के अंतर्गत विचार नहीं किया गया है, और इसलिए, उक्त गणना पर अपीलार्थी (ओं) को कोई लाभ नहीं दिया जा सकता है।इसलिए, हमारे विचार में, आक्षेपित निर्णय किसी भी असंवेदनशील हस्तक्षेप के लिए पर्याप्त नहीं है।अपीलों में योग्यता की कमी है और तदनुसार खारिज कर दिए जाते हैं।24. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

दिव्या पांडे